

1	विभाग का नाम	लघु सिंचाई
2	योजना का नाम	मध्यम गहरे बोरिंग
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	यह योजना समस्त श्रेणी के कृषकों के लिये है। विभाग द्वारा हल्की रिंग मशीनों द्वारा 31 से 60 मीटर की गहराई में मध्यम गहरे बोरिंग का निर्माण किया जाता है। योजना में 6 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर सकल भूमि सिंचित किया जाना उक्त योजना अन्तर्गत नलकूप निर्माण कराये जाने पर नलकूप लागत का 50 प्रतिशत अथवा 75 हजार जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जल वितरण प्रणाली एवं 300 मीटर विद्युत लाईन की स्थापना पर क्रमशः 0.10 लाख एवं रू0 0.68 लाख कुल धनराशि रू0 1.53 लाख प्रति नलकूप अनुदान दिया जाता है।
4	पत्रता की अर्हता	समस्त श्रेणी के कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से खसरा व खतौनी की नकल सहित आवेदन
6	लिंक वेबसाइट	http://minorirrigationup.gov.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अथवा अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।